न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर – 103/2018

1. माईराम पुत्र मूलचन्द जाति खटीक निवासी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. महावीर पुत्र गुगनराम जाति खटीक निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
3. विधा देवी पत्नी मनोहरलाल जाति खटीक निवासी वार्ड नं 6, नेहरू बाल मन्दिर स्कूल के पास, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4. मीनाक्षी पत्नी श्रीराम जाति खटीक निवासी बी 764 कैम्प नं. 4 ज्वालापुरी, सुन्दर विहार, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली।
5. सम्पती देवी उर्फ नेहा देवी पत्नी रामनिवास निवासी वार्ड नं 4, खटिकों का मोहल्ला, चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू, तह व जिला झुन्झुनू।
2. घनश्याम पुत्र गुगनराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं 7 सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री उम्मेदराज सैनी –वादी की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी जी.ए. –राज्य सरकार की ओर से
3. श्री अनूपम शर्मा–प्रतिवादी नं 2 की ओर से

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक –24.01.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके करबा बगड में स्थित है जिसके नये खसरा नं 740 रकबा 1.45 है० जिसके पुराने खसरा नं 943/25 तादादी 5 बीघा 15 बिस्वा पुख्ता है। वाद पत्र की धारा 1 मे वर्णित भूमि में वादी नं 1 माहीराम का 1/2 हिस्सा तथा वादीगण 2 लगायत 5 एवं प्रतिवादी नं 2 का 1/10 –1/10 हिस्सा है। उक्त वादीगण स्वर्गीय मूलचन्द पुत्र सेडूराम खटीक निवासी बगड़ के वारिस हैं। मूलचन्द पुत्र सेडूराम की दिनांक 03.05.1996 को कस्बा बगड में मृत्यु होने के उपरान्त उसकी खातेदारी काश्त की भूमि का इंतकाल वादी नं 1 स्वर्गीय मूलचन्द की पुत्री गीतादेवी के नाम से बराबर–बराबर भरा गया। गीता देवी का देहान्त 16.08.2001 को कस्बा सूरजगढ में हो जाने पर गीता देवी के दो पुत्र व तीन पुत्रियां पैदा हुई जो की उक्त दावे में वादीगण 2 लगायत 5 एवं प्रतिवादी नं 2 के रूप में पक्षकार है और स्वर्गीय मूलचन्द के आधे हिस्से के खातेदार वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि ठिकाना पंचपाना की जमीन थी जिसको पंचपाना ठिकाने तक समय से ही मनरूप पुत्र शंकरलाल दरोगा निवासी बगड़ तहत तहसील झुन्झुनू पुराने खसरा नं 943/25 तदादी 5 बीघा 15 बिस्वा को काश्त करता था तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने पर स्वर्गीय मनरूप पुत्र शंकरलाल जाति दरोगा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और मनरूप पुत्र शंकर दरोगा के नाम से जमाबंदी संवत् 2012–2015, 2016–2019, 2020–2023 और जमाबंदी संवत् 2024–2027 में मनरूप पुत्र शंकरलाल दरोगा खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चला आया और इसी प्रकार से गिरदावरियों मे भी काश्तकार के रूप में दर्ज चला आया और शंकरलाल राज्य सरकार को अपने कब्जे काश्त की भूमि का लगान अदा करता रहा। इस प्रकार से स्वर्गीय मनरूप पुत्र शंकरलाल दरोगा खसरा नं 943/25 तादादी 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार रहा था उक्त मूलचन्द वादी नं 1 का पिता वादी नं 2 लगायत 5 एवं प्रतिवादी नं 2 का नाना था उसने जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र दिनांक 24.03.1966 को वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित खसरा नं की भूमि खरीद कर कब्जा ले लिया और जमीन का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से तस्दीक करवाकर कब्जाकाश्त करने लगा। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि स्वर्गीय मूलचन्द के विधिक वारिस होने के नाते उतराधिकार में प्राप्त की और वर्तमान में उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से भूमि खसरा नं पुराना 943/25 तादादी 5 बीघा 15 बिस्वा वाके बगड़ स्थित भूमि के खातेदार लिखने से पूर्व सहवन से गैर खातेदारी शब्द अंकित हो गया और उसी अनुसार भूमि गैर खातेदारी के रूप में दर्ज होती रही। जिसके बाबत वादीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा वादीगण अशिक्षित व्यक्ति है

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

जिन्होने कभी राजस्व रिकार्ड को अवलोकन नही किया। वाद को दावा पेश करने हेतु वाद कारण दिनांक 19.06.2018 को पटवारी हल्का के द्वारा राजस्व रिकार्ड की गलती बतायी जाने एवं पक्षकारान को राजस्व रिकार्ड की नकल दिनाक 05.07.2018 को लेने के रोज रिकार्ड का पता लगने पर श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। वाद पत्र की सुनवाई का श्रीमानजी के न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अत: वादीगण की ओर से वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहस वादीगण दावा निर्णित व डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि वादीगण न 1 वाद पत्र की धारा 1 मे वर्णित भूमि का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण न 2 लगायत 5 एवं प्रतिवादी नं 2 वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के 1/10 –1/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। राजस्व रिकार्ड में वादी नं 1 एवं वादीगण न 2 लगायत 5 एवं प्रतिवादी नं 2 को वाद की धारा 1 मे वर्णित भूमि का गैर खातेदार सहवन से राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अंकन कर दिया है। उसको दुरुस्त किया जाकर खातेदार अंकन किये जाने का आदेश प्रदान करें। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया प्रतिवादी न 1 पैरोकर सरकार ने अपने पत्र कमांक राजस्व/2018/3078 दिनाक 24.12.2018 के द्वारा जवाब पेश किया कि ग्राम बगड़ की कृषि भूमि गत खसरा 943 मी. रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी जमाबंदी संवत 2012–2015 में शंकर दरोगा गैर खातेदार दर्ज है संवत 2016–2019 की जमाबंदी में खसरा नं 943/25 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा की गैर खातेदारी मनरूप वल्द शंकर दरोगा के नाम दर्ज है जो संवत 2044 तक दर्ज है। 24.03.1966 मे मनरूप पुत्र शंकर द्वारा खसरा नं 943/25 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा का विकय किया गया जिसमे केता मूलचन्द पुत्र सेडूराम जाति खटीक है विकय पत्र की प्रति सलग्न है संवत 2045–2048 की जमाबंदी में मूलचन्द पुत्र सेडूराम जाति खटीक निवासी ग्राम गैर खातेदार के नाम है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिसल हकीयत से गत खसरा न 943/25 का नया खसरा नं 740 रकबा 1.45 है0 किस्म बंजड–1 की गैर खातेदारी मूलचन्द पुत्र सेडूराम जाति खटीक सा.देह खातेदार दर्ज किया गया जो जमाबंदी संवत 2065–2068 तक दर्ज है जमाबंदी संवत 2069–2072 में नामान्तकरण संख्या 926 दिनाक 19.12.2014 विरासत से मूलचन्द पुत्र सेडूराम फौत होने पर माईराम पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 महावीर, घनश्याम, विधा देवी, मीनाक्षी, संपति देवी माता गीता देवी हिस्सा 1/2 जाति खटीक गैर खातेदार के नाम स्वीकार हुआ जो आज दिनांक तक दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी नं 2 को समूचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर उनकी जवाबदेही बंद की जाकर सहादतवादी में शपथ–पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड पर प्रदर्श पी–1 से पी–25 तक डाले गये तथा प्रकरण में वकील पक्षकारान बहस सुनी जाकर समाआत की गई वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड पी–1 से पी–25 व जवाब दावा तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया जिससे वाद वादी पूर्णतया सिद्व होने पर स्वीकार किया जाना न्योचित हैं। अत:

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर कस्बा बगड में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं 943/25 का रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा का हाल खसरा न 740 रकबा 1.45 है0 की जमाबंदी संवत 2073–2076 के कॉलम नं 4 में गैर खातेदार शब्द को हजफ किया जाकर वादीगण नं 1 माईराम को 1/2 हक हिस्से का तथा प्रतिवादी न 2 लगायत 5 (4) एवं प्रतिवादी नं 2 को 1/10–1/10 के हक–हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नोट :- प्रति० नं० 2 लगा० 5 के स्थान पर वादी नं० 2 लगा० 4 दुरुस्त किया जाता है

24.1.19

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.)

उनवान

श्री माईराम वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगै0

दावां बाबत:– घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर:–103/2018

निर्णय दिनांक :–24.01.2019

वादीगण की ओर उम्मेदराज सैनी हाजिर उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.01 2019 को श्रीमती अलका बिश्नोई, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – कस्बा बगड में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं 943/25 का रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा का हाल खसरा नं 740 रकबा 1.45 हे0 की जमाबंदी संवत 2073–2076 के कॉलम नं 4 में गैर खातेदार शब्द को हजफ किया जाकर वादीगण नं 1 माईराम को 1/2 हक हिस्से का तथा प्रतिवादी नं 2 लगायत 5 (4) एवं प्रतिवादी नं 2 को 1/10–1/10 के हक–हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

नोट :- प्र० सं० 2 लं० 5 के स्थान पर वादी सं० 2 लं० 4 दुरुस्त किया जाता है

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राज.)

वादी के खर्चा

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम अर्जी दावा	5	स्टाम अर्जी	
स्टाम वकालतनामा	36	स्टाम वकालतनामा	46
स्टाम वजह सबूत		स्टाम वजह सबूत	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
जोड.	41	जोड.	46

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू